न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
पीठासीन अधिकारी श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 59/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शोभाराम पुत्र मोडाराम 2 उगराराम पुत्र जीयाराम 3 कमा पत्नी जीयाराम जातियान जाट निवासीगण सेनणी तहसील मुण्डवा।		1 रामपालराम पुत्रदीनाराम जाति जाट निवासी सेनणी तहसील मुण्डवा (फौत) के कायम मुकाम 1/1 रामचन्द्र पुत्र रामपालराम 1/2 पप्पु उर्फ मोहन पुत्र रामपालराम 1/3 श्यामा पुत्री रामपालराम 1/4 सुगनाई पत्नी रामपालराम जातियान जाट निवासीगण सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर 2 नरसीगराम 3 गिदाराम 4 परसाराम 5 पांचाराम पुत्रान दीनाराम 6 ओमाराम पुत्र जीयाराम जातियान जाट निवासीगण सेनणी तहसील मुण्डवा।

उपस्थिति –
1 श्री नरेन्द्र सारस्वत, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री कैलाश गालवा, वकील अप्रार्थी संख्या 03 की ओर

आदेश

दिनांक 17.03.2026

{1}–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेनणी द्वारा पत्रावली संख्या 51/62, पटटा संख्या 48 दिनांक 07.12.1962 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील अप्रार्थी सं. 03 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2025 को प्रस्तुत किया। जिसका जवाब वकील प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 20.11.2025 को पेश किया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि निगरानीकर्ता ने अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बाबत पटटा संख्या 48 जो ग्राम पंचायत सेनणी द्वारा पत्रावली संख्या 51/62 में दिनांक 07.12.62 को जारी किये हुए उक्त पटटे को खारिज करवाने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पटटा संख्या 48 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, एवं फोटोप्रति के आधार पर उक्त निगरानी दर्ज होने योग्य नहीं थी, तथा किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन निगरानीकर्ता की और से मात्र फोटोप्रति के आधार पर किसी प्रकार की सुनवाई व निर्णय पारित नहीं किया जा सकता एवं उक्त प्रकरण में मात्र फोटोप्रति के आधार पर जो निगरानी दर्ज हुई है वो प्रमाणित प्रति व असल दस्तावेज के अभाव में दर्ज होने योग्य नहीं थी, न सुनवाई किये जाने योग्य है एवं न ही किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है, इस कारण उक्त निगरानी इसी स्टेज पर खारिज कि जाना विधिनुसार उचित व न्याय संगत है।

{3}–वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। रेस्पोडेंट ने थाने में फर्जी पटटे की फोटोप्रति पेश की थी तथा दीवानी वाद में भी जवाब पेश कर इस पटटे का उल्लेख किया था। अपीलांट ने ग्राम पंचायत से इस पटटे की प्रमाणित प्रति की मांग की थी जिस पर ग्राम पंचायत ने अपीलांट को लिखित मे सूचना दी कि पटटा पत्रावली और कार्यवाही रजिस्टर का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। ग्राम पंचायत से पटटा पत्रावली तलब की जाना तथा अप्रार्थीगण से मूल पटटा न्यायालय हाजा में पेश कराया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वकील अप्रार्थी 03 का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

17/3/26

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत सेनणी द्वारा पत्रावली संख्या 51/62, पटटा संख्या 48 दिनांक 07.12.1962, के विरूद्व यह निगरानी विचाराधीन है। पत्रावली में वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति आवेदन का विधिपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 03 का मुख्य तर्क यह है कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत सैनणी द्वारा दिनांक 07.12.1962 को जारी विवादित पट्टा संख्या 48 को चुनौती दी है, किंतु निगरानी के साथ उक्त पट्टे की न तो मूल प्रति (Original) प्रस्तुत की गई है और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति (Certified Copy)। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि यह निगरानी मात्र एक अपुष्ट फोटो प्रति (Photocopy) के आधार पर संस्थित की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी लोक दस्तावेज या पट्टे की वैधता की समीक्षा हेतु प्राथमिक साक्ष्य या प्रमाणित प्रति का होना अनिवार्य है; मात्र फोटोप्रति को साक्ष्य विधि (Evidence Act) के अंतर्गत ग्राह्य (Admissible) नहीं माना जा सकता। चूँकि निगरानीकर्तागण द्वारा इस त्रुटि का निवारण नहीं किया गया है, अतः मात्र फोटोप्रति के आधार पर पट्टे जैसी महत्वपूर्ण विलेख (Document) के विरुद्ध सुनवाई जारी रखना विधि सम्मत एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

{5}–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 03 का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2025 स्वीकार किया जाता है। चूंकि निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित पटटे की न तो मूल प्रति (Original) और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति (Certified Copy) न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अतः साक्ष्य के अभाव में यह निगरानी पोषणीय (Maintainable) नही होने के कारण प्रारंभिक स्तर (Admission Stage) पर ही खारिज की जाती है।

{6}–आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/3/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर